




360



न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

III/नगरानी/क्र. 5/2017/2365

रामसिंह क. शर्मा प. क्र. 1
दि. 25-7-17 को

- 1. रामसिंह पुत्र द्वारिका प्रसाद बघेल
- 2. राजी पत्नी रामसिंह बघेल,
निवासी ग्राम गजना उप तहसील सुरपुरा तह.
अटेर जिला भिण्ड म. प्र. --- आवेदकगणा

कलक ऑफ कोर्ट
गजना मण्डल म. प्र. ग्वालियर

रामसिंह क. शर्मा

256-2076

काम

- 1. श्रीमती उपासना देवी पत्नी सतेन्द्र सिंह ठाकुर
- 2. द्वारिका प्रसाद बघेल पुत्र रामचरण बघेल
- 3. राजेन्द्र पुत्र द्वारिका प्रसाद बघेल

समस्त निवासीगणा ग्राम गजना तह. अटेर जिला
भिण्ड म. प्र. --- आवेदकगणा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, म. प्र. भू. रा. स. 1959 विरुद्ध आदेशा
दिनांक 15.6.17 द्वारा पारित न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड प. क्र.
13/14-15 निगरानी का आदेशा दिनांक नायब तहसीलदार सुरपुरा
तह. अटेर प. क्र. 1/14-15 अ-6 आदेशा दि. 31.10.14 के निष्पत्ति
से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है:-

- 1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :- यह कि, प्रकरण में बगिति भूमि कृषि भूमि
है आवेदक क. 1 के पिता द्वारिका प्रसाद द्वारा अना. क्र. 1 उपासना देवी
को प्रकरण में बगिति भूमि में से कुछ अंश भाग का एक दिछावटी
विक्रय पत्र श्रीमती उपासना देवी के हित में कर दिया जिसके आधार
पर आवेदकगणा द्वारा नामान्तरण के समय आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया
तथा न्यायालय से निवेदन किया कि मेरी आपत्ति पत्र पर साक्ष्य आदि

3

8

- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/2365

रामसिंह व अन्य विरुद्ध श्रीमती उपासना देवी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री रामसेवक शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला-भिण्ड के प्र.क्र. 13/2014-15/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-06-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण चम्बल आयुक्त के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 08-05-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य 11-3-19</p>